है । यहां तक कि ऐसे प्रोग्राम लिखने की भी सुविधा उपलब्ध है, जिन पर कि द्विभाषी रूप में आंकड़ों का विश्लेषण हो सकता है । देवनागरी में इलैक्ट्रानिकी उपकरणों के विकास तथा प्रयोग की समीक्षा इस विभाग में एक मंत्री-स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है । द्विभाषी टेलीप्रिंटर के विकास के लिए राजभाषा विभाग ने हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर की दस लाख रुपये अनुदान के रूप में दिए हैं। विभाग ऐसी संस्थाओं तथा कार्यालयों के प्रति विशेष ध्यान दे रहा है, जो इन उपकरणों का अधिक संख्या में प्रयोग करते हैं । जैसे कि राष्ट्रीयकृत बैंक आदि ।

हिन्दी टंकण तथा आशुलिपि को प्रोत्साहित करने के लिए राजभाषा विभाग ने अनेक कदम उठाए हैं । टंककों का अनुपात "क" क्षेत्र में मंत्रालयों/विभागों के मुख्यालयों के लिए 25 प्रतिशत निर्धारित किया गया है और अन्य कार्यालयों के लिए यह 50 प्रतिशत है । इसी तरह यही अनुपात "क" क्षेत्र के आशुलिपिकों पर भी लागू होता है । टंकण यंत्रों के संबंध मे भी यही अनुपात लागू होता है । पहला अनुपात केवल नये खरीदे गये यंत्रों पर ही लागू होता था, लेकिन वर्तमान आदेशों में अनुपात कुल संख्या पर लगाया गया है जो कि एक महत्वपूर्ण वृद्धि है । आशुलिपिकों के अनुपात में कमी को 31-3-1990 तक पूरा किया जाना है तथा टंककों के अनुपात में कमी को 31-3-1989 तक भरना होगा । यह भी निर्णय लिया गया है कि अधिसूचित कार्यालयों में 1-4-1988 से हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी हिन्दी में भेजे जाने वाले पत्रादि के उत्तरों के मसौदे हिन्दी में ही प्रस्तुत करेंगे।

टिप्पण और आलेखन के लिए "क" क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने की पात्रता 50 हजार शब्दों से घटा कर 20 हजार शब्द कर दी गई है । इससे अनेक ऐसे व्यक्तियों को देवनागरी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिनके लिए 50 हजार शब्द लिखना कठिन था।

—

12.00 NOON

PAPERS LAID ON THE TABLE

Report (1986) of the Comptroller and Auditor General of India

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): Sir, I beg to lay on the Table, under clause (1) of article 151 of the Constitution, a copy (in English and Hindi) of the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1986, Union Government (Commercial), Part-VII Hindustan Cables Limited. [Placed in Library. *See* No. LT-5629/88].

Indira Vikas Patra (Amendment) Rules, 1988

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EXPENDITURE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B. K. GADHVI): Sir, I beg to lay on the Table, under sub-section (3) of section 12 of the Government Savings Certificates Act, 1959, a copy (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification G.S.R. No. 110(E), dated the 1st March, 1988, publishing the Indira Vikas Patra (Amendment) Rules, 1988. [Placed in Library. *See* No. LT-5639/88].

Report and Audited Accounts (1986-87) of the Indian Science Congress Association, Calcutta and related papers

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF OCEAN DEVELOPMENT, ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS AND SPACE

(SHRI K. R. NARAYANAN): Sir, I beg to lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the following papers:

(i) Annual Report and Audited Accounts of the Indian Science Congress Association, Calcutta, for the year 1986-87.

(ii) Statement by Government accepting the above Report.

[Placed in Library. *See* No. LT-5595|88 for (i) and (ii)].

Notifications of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, I beg to lay on the Table, under sub-section (2) of section 3 of the All India Services Act, 1951, a copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training):—

(i) G.S.R. No. 101 dated the 20th February, 1988, publishing the Indian Police Service (Pay) Amendment Rules, 1988.

(ii) G.S.R. No. 102, dated the 20th February, 1988, publishing the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1988.

[Placed in Library. *See* No. LT-5596|88 for (i) and (ii)].

(iii) G.S.R. No. 104, dated the 20th February, 1988, publishing the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) Second Amendment Regulations 1988.

(iv) G.S.R. No. 105, dated the 20th February, 1988, publishing the Indian Police Service (Pay) Second Amendment Rules, 1988.

[Placed in Library. *See* No. LT-5626-A|88 for (iii) and (iv)].

SPECIAL MENTIONS

Need for compiling true history of India

[**The Deputy Chairman** in the Chair]

THE DEPUTY CHAIRMAN: Special Mentions. Shri D. C. Prashant.

SHRI DHARAM CHANDER PRASHANT (Jammu and Kashmir): Madam, I am thankful to the Chairman...

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : महोदया, एक मिनिट निवेदन करना है ।

उपसभापति : मैंने उनको बुलाया है स्पेशल मेंशन के लिए ।

श्री राम अवधेश सिंह : स्पेशल मेंशन के लिए मैंने भी दिया था । मेरे क्षेत्र में रोहतास जिला के दिनारा में . . .

उपसभापति : आपका नाम नहीं है स्पेशल मेंशन में ।

श्री राम अवधेश सिंह : मेडम, यह इतना सीरियस मैटर है कि पुलिस ने चार मर्डर हमारे यहां रोहतास जिला के दिनारा में दिन में घरो से खींचकर के, पकड़ कर के मार दिया ।

उपसभापति : आप बिना आज्ञा बोले जा रहे हैं । आपका नाम यहां नहीं है । अगर होता तो मैं आपको दे देती ।

श्री राम अवधेश सिंह : चेयरमैन साहब ने कहा था, आपको समय दे देंगे ।

उपसभापति : यहां आपका नाम नहीं है ।

श्री राम अवधेश सिंह : मैडम, इससे ज्यादा कोई सीरियस बात होगी । पुलिस ने घरों से निकालकर मार दिया और भी दूसरे लोगों को इलाके में तबाह कर रही है । इसके लिए कुछ करना चाहिये क्योंकि इसमें हरिजन और वीकर सेक्शन के लोग हैं ।